रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022024-252177
CG-DL-E-16022024-252177

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2024/माघ 27, 1945
No. 732] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2024/MAGHA 27, 1945

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024

का.आ. 768(अ).— जबकि मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय डीएलएफ सायबर पार्क टावर बी, 9 वीं मंजिल, सेक्टर 20, उद्योग विहार फेस-III, गुरूग्राम - 122008, हरियाणा है, ने "बीकानेर, राजस्थान में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एसआरआईपीएल को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम" के तहत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/2/2023-PG दिनांक 26.06.2023 के द्वारा "बीकानेर, राजस्थान में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एसआरआईपीएल को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) ने स्थानीय समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 02.09.2023, दैनिक नवज्योति (हिंदी में) दिनांक 02.09.2023, प्रभात अभिनंदन (हिंदी में) दिनांक 02.09.2023 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 21.10.2023 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित

ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) ने 22.12.2023 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ने "बीकानेर, राजस्थान में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एसआरआईपीएल को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. एसआरआईपीएल पूलिंग स्टेशन (जयमलसर) - बीकानेर II पीएस (आईएसटीएस) 220 केवी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान के निम्नांकित गाँवों,कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्रमिक संख्या	गांवों	तहसील	ज़िला
1.	जयमलसर , कवनी	बीकानेर	बीकानेर
2.	नोखा दैया	कोलायत	बीकानेर
3.	भानीपुरा	पूगल	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं:

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
vi. मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
vii. यदि उपरोक्त शिरोपरि लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त शिरोपरि लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट

इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है | आवेदक को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये, जैसा भी मामला हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है।

[फा. सं. 25-16/2/2024-पीजी]

दीपक राव, निदेशक (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 14th February, 2024

S.O. 768(E).— Whereas M/s Serentica Renewables India Private Limited, the applicant with its registered office at DLF Cyber Park Tower B, 9th Floor, Sector 20, Udyog Vihar Phase-III, Gurugram-122008, Haryana, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under "Transmission system for providing connectivity to SRIPL for its 400 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No.25-17/2/2023-PG dated 26.06.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead transmission line covered under "Transmission system for providing connectivity to SRIPL for its 400 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan".

M/s Serentica Renewables India Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Times of India (in English) dated 02.09.2023, Dainik Navjyoti (in Hindi) dated 02.09.2023, Prabhat Abhinandan (in Hindi) dated 02.09.2023 and in Weekly Gazette of India dated 21.10.2023 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Serentica Renewables India Private Limited has submitted an affidavit dated 22.12.2023 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of transmission line under "Transmission system for providing connectivity to SRIPL for its 400 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan".

The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. 220 kV line from SRIPL Pooling Station (Jaimalsar) – Bikaner II PS (ISTS)

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Sl. No.	Villages	Tehsil	District
1.	Jaimalsar, Kawni	Bikaner	Bikaner
2.	Nokha Daiya	Kolayat	Bikaner
3.	Bhanipura	Poogal	Bikaner

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Serentica Renewables India Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Serentica Renewables India Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/2/2024-PG]

DEEPAK RAO, Director (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.16 22:22:21 +05'30'